न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 02/2025(GCMS 2025/8)
(आरटीआई संख्या 212504875821587)

श्री संजय, पोस्ट ऑफिस झांसल तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ (मोबाईल नम्बर 99823–93210)

<u>बनाम</u>

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>04.03.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संजय स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.12.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह ऑनलाईन अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी संजय ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जिसकी प्रति अपीलार्थी ने अपील के साथ शामिल नहीं की है।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./25/63 दिनांक 27.02.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अपील के संबंध में लोक सूचना का अधिकार अधिनियम सं. 02/2025 संजय बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निवेदन है कि उपख[illegible]लशहर से शेष नहरी भूमि अन्य पिछड़ा वर्ग सहित किसी भी वर्ग [illegible] लिए [illegible]क्षित नहीं रखी गयी है।
>
> अतः कार्या[illegible] आई/25/52 दिनांक 21.02.2025 द्वारा अ[illegible] श्री [illegible] चाही गई सूचना [illegible]र्थी को प्रेषित कर दिया गया है। सूचना श्रीम[illegible]ी की सेवा में आवश्य[illegible]र्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:54 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तस्दीक तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.28 15:46:54 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)